खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री विपिन आंसु बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री विपिन आंसु उपस्थित।

17.11.2025

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि प्रशाखा पदाधिकारी श्री अमित रंजन उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी श्री विपिन आंसु, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, पीरपैंती, भागलपुर सम्प्रति जयनगर, मधुबनी के द्वारा दायर किया गया है। यह अपीलवाद अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 के द्वारा प्रावधान के तहत दायर किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–1858/खाद्य, पटना दिनांक–04.04.2024 में पारित आदेश जिसके तहत अपीलार्थी श्री विपिन आंसु, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, पीरपैंती, भागलपुर के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (VI) के तहत 03 (तीन) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त पारित आदेश को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष चुनौती दी गयी है।

उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से संक्षेप में वस्तुस्थिति इस प्रकार से हैं –

1. अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप है कि इनके द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचायत स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई, आधार सीडिंग भेंडर द्वारा अन्य चिन्हित किये गये कार्ड का Addition/Deletion से संबंधित कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने, बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–19 की उप कंडिका–(iii) का अनुपालन नहीं किये जाने एवं खाद्यान्न का उपावंटन मनमाने तरीके से किये जाने, मशीन के द्वारा नवंबर एवं दिसंबर, 2019 में खाद्यान्न का शत प्रतिशत वितरण हेतु पर्याप्त अभिरूचि नहीं लिये जाने एवं अन्य विवरणी गंभीर विषयों पर गंभीर लापरवाही बरतने के संबंध में जिला पदाधिकारी, भागलपुर का पत्रांक–98, दिनांक–03.02.2022 के द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में विभाग के समक्ष प्रेषित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में विभाग के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्रवाई संचालित करते हुए उप निदेशक (खाद्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–61, दिनांक–28.11.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच–प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराते हुए श्री आंसु के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–5497, दिनांक–20.12.2023 के द्वारा श्री आंसु से द्वितीय कारण–पृच्छा का जवाब/बचाव बयान की मांग की गई। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि श्री आंसु के द्वारा दिनांक–31.01. 2024 को द्वितीय

कारणपृच्छा का जवाब / बचाव बयान दिया गया, जिसमें इनके द्वारा तोड़–मरोड़ कर पुरानी बातों को ही कहा गया एवं यह भी कहा गया कि चार पहिया वाहन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्य के संपादन में परेशानी हो रही है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री आंसु द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण कम संख्या में किया गया एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन काफी विलंब से प्रस्तुत किया गया। राशन कार्ड निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी के होने के बावजूद आपूर्ति निरीक्षक के रूप में इनके द्वारा निर्गत किया गया। RTPS के e-Portal पर अपलोड करने संबंधी कार्य एवं जन वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों के निष्पादन में गंभीर नियमितता बरती गई, जो इनके कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना को दर्शाता है। साथ ही उक्त कृत्य बिहार आचार नियमावली, 1976 के संगत नियमों के सर्वथा प्रतिकूल है। इस प्रकार इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण / बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः श्री आंसु के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित होते है।

अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर अपीलवाद में यह वर्णन किया गया है कि इनके द्वारा समय–समय पर पी०डी०एस० दुकानों की जाँच की जाती थी एवं जाँच प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को समर्पित किया जाता था। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां है, जिसके कारण भ्रमण में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि राशन कार्ड के निर्माण में भी इनके द्वारा आवश्यक दिलचस्पी ली गई।

अपीलार्थी का अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर कारणपृच्छा / बचाव बयान एवं अभिलेख में उपलब्ध नये साक्ष्य के अवलोकन से अपीलीय प्राधिकार इस नतीजे पर पहुँचा है कि अपीलार्थी के द्वारा अपने बचाव में कोई भी नया तथ्य / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि पूर्व में समर्पित बातों को ही तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार योग्य नहीं है।

फलतः खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–1858 / खाद्य, पटना दिनांक–04.04.2024 में संसूचित दण्ड आदेश, जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (VI) के तहत 03 (तीन) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित है। उसमें किसी प्रकार की सम्परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

ह0 / –
(लेशी सिंह)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

लेखापित एवं संशोधित
ह0 / –
(लेशी सिंह)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(भागलपुर)–05 / 2022– 3222 खाद्य, पटना / दिनांक– 25/11/2025

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं मधुबनी / उप निदेशक (खाद्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर–सह–संचालन पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर एवं मधुबनी / अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी / अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री विपिन आंसु (कोटि क्रमांक–114 / 2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड–जयनगर, जिला–मधुबनी (तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, पीरपैंती, भागलपुर), मोबाइल संख्या–7541056865, E-Mail ID : bipinansu@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(भागलपुर)–05 / 2022– 3222 खाद्य, पटना / दिनांक– 25/11/2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।